

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(4)वित्त/आब/2013


जयपुर, दिनांक: 01 नवम्बर, 2018

आदेश

राजस्थान विधान सभा के आम चुनाव, 2018 के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के क्रम में निम्नानुसार सूखा दिवस घोषित किया जाता है :-

1. सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 05.12.2018 को सायंकाल से दिनांक 07.12.2018 को मतदान समाप्ति तक।
2. पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्र/केन्द्रों के क्षेत्रों में।
3. मतगणना दिवस दिनांक 11.12.2018 को सम्पूर्ण राज्य में।

आज्ञा से,

  
(ऑंकारमल राजोतिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को पत्र क्रमांक 576/14/EPS/2018/989 दिनांक 18.10.2018 के संदर्भ में।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को अशा.टीप क्रमांक प.8(2)(22)निर्वा./2018/8887 दिनांक 30.10.2018 के संदर्भ में।
3. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
9. समस्त संभागीय आयुक्त।
10. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.....
11. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा एवं भरतपुर
12. समस्त जिला आबकारी अधिकारी.....
13. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव